उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-।
संख्या- 9 /1541/43-1-2014-7(।)/2013
लखनऊ : दिनांक 11 दिसम्बर, 2014

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

इण्डियन इंस्टीटयूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की रीजनल शाखा, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक-2202 में प्राविधानित रू0 4,50,000/- में से लेखानुदान के रूप में रू0 1,48,000/- अनुदान के रूप में एवं तथा कथित संस्थान की सदस्यता ग्रहण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को आर्थिक सहायता दिये जाने लिए रू0 5,000/- की धनराशि आरक्षित रखने हेतु शासन के कार्यालय संख्या-448/43-1-2014-7(1)/2013 दिनांक 11-4-2014 द्वारा स्वीकृति प्रदान प्रदान की गई थी, तदुपरान्त प्रावधानित धनराशि के 50 प्रतिशत की अवशेष धनराशि रू0 72,000/- की स्वीकृति भी कार्यालय संख्या-6-1048/43-1-2014-7(1)/2013 दिनांक 08-9-2014 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। उक्त के क्रम श्री राज्यपाल महोदय इण्डियन इंस्टीटयूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की रीजनल शाखा, लखनऊ को लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने, सेमिनार्स आयोजित करने तथा कार्यालय के अंशकालिक स्टाफ पर व्यय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि 4,50,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत कुल धनराशि रू0 2,25,000/- (रू0 दो लाख पच्चीस हजार मात्र) को व्यय के उपरान्त द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 2,25,000/- (रू0 दो लाख पच्चीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते है।

2- आहरण वितरण अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उक्त धनराशि रू0 2,25,,000/- (रू0 दो लाख पच्चीस हजार मात्र) आहरित कर बैंक डाफट के माध्यम से अवैतनिक सचिव, आई0आई0पी0ए0, नई दिल्ली की उ0प्र0 रीजनल शाखा, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- भविष्य में राज्य सरकार द्वारा संस्थान को किसी प्रकार की सहायता/अनुदान देने पर तभी विचार किया जायेगा जब उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्थान द्वारा शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। उक्त धनराशि से संबंधित लेखे राज्य सरकार द्वारा आडिटेबुल होंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-आयोजनेत्तर-004-अनुसंधान-03-इण्डियन इंस्टीटयूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश की रीजनल शाखा, लखनऊ को अनुदान-20-सहायता-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-ई-9-451/दस-2014, दिनांक 3-12-2014 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
एस0एन0 शुक्ल
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हक0) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- अवैतनिक सचिव, आई0आई0पी0ए0, नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश रीजनल शाखा, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अनुभाग अधिकारी, लेखा, प्रशासनिक सुधार विभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
6- रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिटस, उ0प्र0, लखनऊ।
7- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
10- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in